संख्या-1682/IX-2-2011-12(28)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 04 ~~अप्रैल~~ मई, 2011**

विषयः- अनुदान सं0-27 के जिला सैक्टर आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु स्वीकृत लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-209/XXVII(I)/11 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-449/215-रा0यो0आ0/वा0जि0यो0/2011-12 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-नि.1531/3-4 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अंतर्गत संचालित जिला सेक्टर योजनाओं हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार **₹ 9,60,00,000/- (रू0 नौ करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यो के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(I)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(3) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

क्रमशः.......2

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(9) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(11) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(12) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(13) आयोजनागत पक्ष की चालू योजनायें जिन्हें पाँच वर्ष या अधिक हो गया है, का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से नियोजन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा तथा फलस्वरूप उन योजनाओं के सम्बन्ध में नियोजन एवं वित्त विभाग के परामर्श से अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा.

(14) आयोजनागत पक्ष की प्रत्येक योजना का नियमित आधार पर अनुश्रवण/समीक्षा उनके आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा और यदि वांछित आउटकम/आउटपुट की उपलब्धि नहीं होती/पाई जाती है तो उनके सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायेगा.

(15) जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियां पूर्णतः प्रतिवन्धित है जिनमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है, साथ ही जिला योजनान्तर्गत ऐसी योजनाओं/कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की जायेगी जिसमें वेतन आदि अथवा अन्य आवर्तक व्यय सम्मिलित हो।

(16) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के भी अधीन है कि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से शासनादेश संख्या 449/215-रा0यो0आ0/वा0जि0यो0/2011-12 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 के द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91-जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र.सं.	योजना का नाम / मानक मद	वर्तमान स्वीकृति
	9101-वन संचार साधन	
	25- लघु निर्माण कार्य	30000
	29- अनुरक्षण	20000
	योग	**50000**
	9102-भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था	
	24- वृहद निर्माण	25000
	25- लघु निर्माण कार्य	8000
	26- मशीन साज सज्जा	3000
	29- अनुरक्षण	10000
	योग	**46000**
	कुल योग	**96000**

(वर्तमान स्वीकृति ₹ नौ करोड़ साठ लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या-/082-(1)/x-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

शासनादेश सं0-1082/IX-2-2011-12(28)/2006, दिनांक 04 मई, 2011 का संलग्नकः-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम								
		वन संचार साधन			भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था					
		मानक मद			मानक मद					
		लघु निर्माण कार्य	अनुरक्षण	योग	वृहत निर्माण कार्य	लघु निर्माण कार्य	मशीन सज्जा/ संयंत्र	अनुरक्षण	योग	कुल योग
1	नैनीताल	540	460	**1000**	449	143	53	355	**1000**	**2000**
2	ऊधमसिंह नगर	162	138	**300**	672	215	81	269	**1237**	**1537**
3	अल्मोड़ा	1150	767	**1917**	1913	612	230	765	**3520**	**5437**
4	बागेश्वर	1726	1150	**2876**	1928	617	231	771	**3547**	**6423**
5	पिथौरागढ़	810	540	**1350**	2464	789	296	986	**4535**	**5885**
6	चम्पावत	1944	1296	**3240**	2016	645	242	806	**3709**	**6949**
7	देहरादून	3780	2520	**6300**	3012	964	361	1205	**5542**	**11842**
8	टिहरी	3126	2084	**5210**	784	251	94	314	**1443**	**6653**
9	पौढ़ी गढ़वाल	3820	2547	**6367**	4480	1434	538	1616	**8068**	**14435**
10	चमोली	2208	1472	**3680**	2800	896	336	1120	**5152**	**8832**
11	रुद्रप्रयाग	3156	2104	**5260**	965	309	116	386	**1776**	**7036**
12	उत्तरकाशी	7389	4761	**12150**	2688	860	323	1075	**4946**	**17096**
13	हरिद्वार	189	161	**350**	829	265	99	332	**1525**	**1875**
		30000	**20000**	**50000**	**25000**	**8000**	**3000**	**10000**	**46000**	**96000**

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव